संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन और ओआरएस।

बनाम

प्रदीप कुमार और अन्य (2018 की सिविल अपील संख्या 67)

/

जनवरी 08,2018

[आर. भानुमति और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

सेवा कानूनः

/

नियुक्ति-अनुशासित बल-सिपाही का पद-क्या आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता का खुलासा करने वाले उत्तरदाताओं की उम्मीदवारी और उन्हें बरी करने के निर्णय को जाँच समिति द्वारा इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि वे पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं-आयोजितःआपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार स्वतः नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होता है-नियोक्ता के लिए यह निर्णय लेने के लिए विधि है कि क्या वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और यह जांच करे कि क्या वह पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है-यह तय करते समय कि क्या किसी आपराधिक मामले में शामिल व्यक्ति को बरी कर दिया गया है या छुट्टी दे दी गई है, उसे पुलिस बल में किसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, अपराध की प्रकृति जिसमें वह शामिल है, चाहे वह एक सम्मानजनक बरी होना था या केवल गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने या अभियोजन में खामियों के कारण संदेह का लाभ बढ़ाना, ये सभी पहलू हैं जिन पर जांच समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार पद के लिए उपयुक्त है या नहीं-जांच समिति के निर्णय को अंतिम रूप से लिया जाना चाहिए जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाया जाता है-जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह पद दुर्भावनापूर्ण है।

/

/

/

/

नियुक्ति-अनुशासित बल-आपराधिक मामले में बरी-नियुक्ति का दावा-आयोजितः आपराधिक मामले में बरी होना संबंधित पद पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में निर्णायक नहीं है-यदि किसी व्यक्ति को बरी या आरोपमुक्त कर दिया जाता है, तो हमेशा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह गलत तरीके से शामिल था या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

/

112 ए.

113

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन बनाम प्रदीप कुमार ए.

प्रशासनिक विधि -प्रशासनिक निर्णय-नियुक्ति-अनुशासित बल-क्या न्यायालय जाँच समिति द्वारा लिए गए निर्णय के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित कर सकता है-आयोजितः जाँच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल त्रुटिहीन चरित्र वाले व्यक्ति ही पुलिस बल में प्रवेश न्यायालय जाँच समिति के निर्णय के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है।

/

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** यदि किसी व्यक्ति को बरी या आरोपमुक्त कर दिया जाता है, तो हमेशा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह गलत तरीके से शामिल था या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।जब तक यह एक सम्मानजनक बरी नहीं होता है, उम्मीदवार मामले के लाभ का दावा नहीं कर सकता है।**[**पैरा **10] [118-**सी**]**

/

पुलिस उप महानिरीक्षक और एक अन्य बनाम एस.

समुथिरम (2013) 1 एस. सी. सी. 598:[2012] 11 एस. सी. आर. 174-पर निर्भर।

2. पुलिस सेवा में प्रवेश करने के लिए एक उम्मीदवार को अच्छे चरित्र, सत्यनिष्ठा और स्वच्छ पृष्ठभूमि का होना आवश्यक था।**[**पैरा **11] [118-**जी**-**एच**]**

/

पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम।

मेहर सिंह (2013) 7 एससीसी 685:[2013] 13 एससीआर 432;

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम परवेज खान (2015) 2 एस. सी. सी. 591; अवतार सिंह बनाम भारत संघ और

/

अन्य (2016) 8 एस. सी. सी. 471:[2016] 7 एस. सी. आर. 445-निर्भर।

3.1 पुलिस सेवा में भर्ती होने वाले उम्मीदवार को त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा का होना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा।भले ही वह बरी हो जाए या बरी हो जाए**,** यह नहीं माना जा सकता है कि उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था**/**पूरी तरह से बरी कर दिया गया था।जाँच समिति के निर्णय को अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाया जाता है।जाँच समिति को इसमें विश्वास के महत्व के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और उम्मीदवार की पूर्ण चरित्र के साथ जाँच करनी चाहिए।**[**पैरा **13] [122-**सी**-**डी**]**

/

/

3.2 जाँच समिति ने उत्तरदाताओं के प्रत्येक मामले और उनके बरी होने के कारणों की जाँच की और निर्णय लिया।यह तय करते समय कि क्या आपराधिक मामले में शामिल व्यक्ति को बरी कर दिया गया है या उसे आरोपमुक्त कर दिया गया है

/

पुलिस बल में किसी पद पर नियुक्त**,** अपराध की प्रकृति जिसमें वह शामिल है**,** चाहे वह एक सम्मानजनक बरी होना हो या केवल गवाहों के प्रतिकूल होने और अभियोजन में खामियों के कारण संदेह के लाभ का विस्तार**,** ये सभी पहलू हैं जिन पर जाँच समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार पद के लिए उपयुक्त है या नहीं।जाँच समिति ने उनके बरी होने के प्रत्येक मामले और कारणों की जाँच की और निर्णय लिया कि प्रतिवादी चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही के पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।प्रक्रिया का पालन दिशानिर्देश **2** (ए) (बी) के अनुसार किया जाता है और इस तरह की जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल त्रुटिहीन चरित्र वाले व्यक्ति ही पुलिस बल में प्रवेश करें।हालांकि**,** न्यायालय जांच समिति के फैसले के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है।हाथ में मामले में**,** यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि जाँच समिति का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है।जाँच समिति का यह निर्णय कि प्रतिवादी सिपाही के पद पर नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं**,** हस्तक्षेप की माँग नहीं करता है।न्यायाधिकरण और उच्च

न्यायालय ने जांच समिति के निर्णय और आक्षेपित निर्णय अपास्त करते हुए में गलती की है, जिसे दरकिनार किया जा सकता है।[पारस **15,17] [124-**डी-एफ**; 125-**सी**]**

/

/

/

जोगिंदर सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और

अन्य (2015) 2 एस. सी. सी. 377:[2014] 11 एस. सी. आर. 155-लागू नहीं होता है।

/

मामला विधि संदर्भ **[2014] 11** एस**.** सी**.** आर**. 155** पर भरोसा किया गया

पैरा **7**

[2012] 11 एस**.** सी**.** आर**. 174** पर निर्भर

पैरा **10**

[2013] 13 एस**.** सी**.** आर**. 432** पर निर्भर

पैरा **11**

/

(2015) 2 एस**.** सी**.** सी**. 591** पर निर्भर

पैरा **11**

[2016] 7 एस**.** सी**.** आर**. 445** पर निर्भर

पैरा **12 [2014] 11** एस**.** सी**.** आर**. 155** लागू नहीं होता पैरा **16**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 67

/

2018.

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2013 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3532 (ओ. एंड. एम.) में दिनांक 24.02.2016 के निर्णय और आदेश से

/

2018 की सी. ए. संख्या 68,69 और 70।

115

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन बनाम प्रदीप कुमार ए.

/

निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, आशुतोष घाड़े, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

मुकेश के. गिरि, सुधीर नागर, अंकित खेरा, दुष्यंत पाराशर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर. भानुमति, जे. 1.छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों में शामिल प्रश्न यह है कि क्या आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता का खुलासा करने वाले प्रतिवादियों की उम्मीदवारी और उन्हें बरी करने के फैसले को जांच समिति द्वारा इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि वे चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं और क्या न्यायालय जांच समिति द्वारा लिए गए निर्णय के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित कर सकती है।चूँकि इन सभी अपीलों में तथ्य और मुद्दे लगभग समान हैं, इसलिए उनकी एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा।सुविधा के लिए, हम 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 20750 से उत्पन्न अपील में तथ्यों पर विचार करेंगे।

/

/

3. 14.03.2010 पर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अपने पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यता के साथ चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) के 1200 अस्थायी पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।भर्ती उस पर दिशानिर्देशों के साथ-साथ कांस्टेबलों की भर्ती को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेश के अनुसार की जानी थी।दिशानिर्देश संख्या 2 (ए) (ए) उन परिस्थितियों से संबंधित है जब उम्मीदवार प्रमाणन प्रपत्र में अपनी भागीदारी के तथ्य का खुलासा नहीं करता है और वही बाद में सत्यापन रिपोर्ट से पाया जाता है।ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी उम्मीदवार के आचरण की आगे की जांच के लिए किसी भी समिति को कोई संदर्भ दिए बिना उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुसार रद्द कर दी जाएगी। दिशानिर्देश संख्या 2 (ए) (बी) अंतर्गत , यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी उम्मीदवार ने सत्यापन प्रपत्र अंतर्गत किसी आपराधिक मामले अंतर्गत अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है, तो ऐसे मामले को चंडीगढ़ पुलिस अंतर्गत नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के

लिए जांच समिति को भेजा जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि मामला जांच, मुकदमे या दोषसिद्धि या बरी होने के परिणामस्वरूप है।

/

/

/

4. उत्तरदाताओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापन परीक्षा, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) के पद के लिए भर्ती में सफल घोषित किया गया था।

/

और साक्षात्कार।हालाँकि, प्रत्यर्थियों को इस आधार पर नौकरी से वंचित कर दिया गया कि प्रत्यर्थियों पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 323 और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 506 के अंतर्गत अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमे में मुकदमा चलाया गया था और निचली विचारण निर्णय द्वारा उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा गया और यह पाया गया कि प्रतिवादी चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं थे।

/

5. पीड़ित उत्तरदाताओं ने कैट के समक्ष ओ. ए. दायर किया। कैट ने दिनांक 24.07.2012 के आदेश के माध्यम से ओ. ए. को अनुज्ञात और जांच समिति के आदेशों को दरकिनार कर दिया और सक्षम प्राधिकारी को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरदाताओं के नामों पर विचार करने का निर्देश दिया।राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे ओमबीर को छोड़कर सभी प्रतिवादियों के लिए खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाया नहीं गया था।दुखी होने के कारण, राज्य ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

6. अपीलार्थी का तर्क है कि किसी व्यक्ति को बरी करने से वह अधिकार के रूप में नियुक्त होने का हकदार नहीं है और नियुक्ति प्राधिकारी अभी भी ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य पा सकता है।अपीलार्थी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि भले ही प्रतिवादियों को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर प्रतिवादियों की नियुक्ति, जो एक अनुशासित बल है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वांछनीय नहीं पाई गई थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थियों को सम्मानपूर्वक अपराधों से बरी नहीं किया गया था और बरी करना केवल संदेह के लाभ के विस्तार पर आधारित था।अपीलार्थी का तर्क है कि अनुशासनात्मक बल में सिपाही का पद अच्छे चरित्र और उपयुक्तता के अलावा एक त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और ट्रैक रिकॉर्ड की मांग करता है।आगे तर्क यह है कि न्यायालय उक्त समिति के निर्णय में अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करके जांच समिति के अधिकार क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता है और इसलिए, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण का आक्षेपित निर्णय पोषणीय नहीं है।

/

/

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों का तर्क है कि प्रत्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक मामला 'कोई सबूत नहीं' का मामला था और प्रत्यर्थियों को बरी करना एक सम्मानजनक बरी करना है और इसे 'संदेह के लाभ' का मामला नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने नौकरी के लिए आवेदन करते समय पूरा विवरण देकर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के तथ्य का उचित रूप से खुलासा किया था और उत्तरदाताओं की ओर से कोई दमन नहीं किया गया था।उत्तरदाताओं की ओर से, ए

/

/

जोगिंदर सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी

चंडीगढ़ और अन्य (2015) 2 एस. सी. सी. 377।

8. दोनों पक्षों की ओर से आग्रह किए गए उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी विवादों के आधार पर, निम्नलिखित बिंदु विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:-

(i) क्या उत्तरदाताओं का यह तर्क कि उन्हें सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था और उन्हें कांस्टेबल के पद पर नियुक्त होने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार्य है?((ii) क्या उच्च

न्यायालय ने जाँच समिति के निर्णय अपास्त करते हुए दिया और अधिकारियों को अनुशासित पुलिस बल में प्रतिवादियों को सिपाही के पद पर विचार करने का निर्देश दिया?

/

/

9. 23.06.2010 पर, पुलिस महानिरीक्षक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 2010 का स्थायी आदेश No.44 जारी किया, जिसमें अतीत में आपराधिक मामलों में संलिप्तता पाए जाने पर चंडीगढ़ पुलिस में चुने गए उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए थे।यह स्थायी आदेश नियुक्ति जारी करने से पहले और नियुक्ति जारी करने और शामिल होने के बाद उम्मीदवारों के मामलों से संबंधित है।उक्त दिशानिर्देशों का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

/

"गाइड लाइन्स

(क) आवेदन देने से पहले के मामले (क) यदि उम्मीदवार प्रमाणन प्रपत्र में आपराधिक मामलों, शिकायत मामलों, निवारक कार्यवाही आदि में अपनी संलिप्तता और/या गिरफ्तारी के तथ्य का खुलासा नहीं करता है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस तथ्य का पता बाद में जिला अधिकारियों से प्राप्त किसी भी सत्यापन रिपोर्ट या किसी अन्य स्रोत से लगाया जाएगा।

/

/

(ख) यदि किसी उम्मीदवार ने आपराधिक मामलों (मामलों), शिकायत मामलों (मामलों), निवारक कार्यवाही आदि में अपनी संलिप्तता और/या गिरफ्तारी का खुलासा किया है, तो मामले को चंडीगढ़ पुलिस में नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए जांच समिति को भेजा जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि मामला जांच, मुकदमे अंतर्गत है या दोषसिद्धि या बरी होने में निर्णय लिया गया है।....."

/

दिशानिर्देश 2 (ए) (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी उम्मीदवार ने सत्यापन प्रपत्र में किसी आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है

/

तब ऐसे मामले को चंडीगढ़ पुलिस अंतर्गत नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए जांच समिति को भेजा जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि मामला जांच, परीक्षण या दोषसिद्धि या बरी होने अंतर्गत निर्णय लिया गया है।वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं के सभी मामलों में, उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होती है।उम्मीदवारों के बरी होने पर, उत्तरदाताओं के मामलों को जांच समिति को भेजा गया।जाँच समिति ने उत्तरदाताओं के मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच की और उनके बरी होने के कारणों और उत्तरदाताओं की उम्मीदवारी को उन्हें उपयुक्त नहीं पाते हुए खारिज कर दिया गया।

/

10. आपराधिक मामले में बरी होना संबंधित पद पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में निर्णायक नहीं है।यदि किसी व्यक्ति को बरी या आरोपमुक्त कर दिया जाता है, तो हमेशा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह गलत तरीके से शामिल था या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।जब तक यह एक सम्मानजनक बरी नहीं होता है, उम्मीदवार मामले के लाभ का दावा नहीं कर सकता है।जो सम्मानजनक दोषमुक्ति है, उस पर इस न्यायालय द्वारा उप महानिरीक्षक में विचार किया गया था

/

पुलिस और एक अन्य बनाम एस. समुथिरम (2013) 1 एस. सी. सी. 598, जिसमें

इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- “24. भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पांचाल (1994) 1 एस. सी. सी. 541 में इस न्यायालय के समक्ष "सम्मानजनक बरी" शब्द का अर्थ विचार के लिए आया।उस मामले में, इस न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पर आपराधिक अदालत द्वारा सम्मानजनक बरी किए जाने से संबंधित विनियमन 46 (4) के प्रभाव पर विचार किया है।उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल बरी होना किसी कर्मचारी को सेवा में बहाली का हकदार नहीं बनाता है, बरी होना, यह अभिनिर्धारित किया गया था, सम्मानजनक होना चाहिए।"सम्मानजनक दोषमुक्त", "दोषमुक्त", "पूरी तरह से दोषमुक्त" शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं, जो न्यायिक घोषणाओं द्वारा बनाए गए हैं।यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना मुश्किल है कि "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूरा विचार करने के बाद अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था। "

/

/

/

/

11. पुलिस सेवा में प्रवेश करने के लिए एक उम्मीदवार को अच्छे चरित्र, सत्यनिष्ठा और स्वच्छ पृष्ठभूमि का होना आवश्यक था।के आयुक्त में

पुलिस, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह (2013) 7 एससीसी 685,

प्रतिवादी को समझौते के आधार पर बरी कर दिया गया था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही बरी होना समझौते पर आधारित था, फिर भी यह खुला है

/

119

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन बनाम प्रदीप कुमार [आर. भानुमती, जे.] ए.

उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच करने और निर्णय लेने के लिए जांच समिति को।मेहर सिंह मामले में पुलिस बल/अनुशासन बल में शामिल होने के लिए आवश्यक चरित्र और सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"23. नीति के सावधानीपूर्वक अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जांच समिति नैतिक अधमता के गंभीर मामलों में शामिल व्यक्तियों को पुलिस बल से बाहर रखने की हकदार होगी, भले ही उन्हें बरी कर दिया जाए या छुट्टी दे दी जाए, अगर उसे लगता है कि बरी करना या आरोपमुक्त करना तकनीकी आधार पर है या सम्मानजनक नहीं है।जाँच समिति किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने के अपने अधिकार के भीतर होगी यदि वह पाती है कि बरी होना अभियोजन मामले के संचालन में किसी गंभीर दोष पर आधारित है या भौतिक गवाहों के प्रतिकूल होने का परिणाम है।जाँच समिति के केवल अनुभवी अधिकारी ही यह निर्णय ले सकेंगे कि क्या बरी किए गए या छुट्टी दिए गए उम्मीदवार के पुलिस बल में पद पर नियुक्त होने पर अधिक ताकत और जोश के साथ भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में लौटने की संभावना है।जाँच समिति को अपराध में ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता की प्रकृति और सीमा पर विचार करना होगा और विधि और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के बजाय उसे बिगड़ने का कारण बनने की उसकी प्रवृत्ति पर विचार करना होगा।हमारी राय में, दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई यह नीति इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि केवल त्रुटिहीन विरचित व्यक्ति ही पुलिस बल में प्रवेश करें।24. हम इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि उत्तरदाताओं की उम्मीदवारी को रद्द करके, जांच समिति ने आपराधिक न्यायालय के फैसलों को दरकिनार कर दिया है।हम जानते हैं कि आपराधिक मामले और विभागीय जांच के बीच सह-संबंध का प्रश्न सीधे तौर पर यहां नहीं उठता है, लेकिन इसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से समर्थन प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा कुछ हद तक समान है, अर्थात्, क्या संदिग्ध ईमानदारी वाले व्यक्ति को विभाग में काम करने की अनुमति दी जाए।जबकि

एक आपराधिक मामले में सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे सबूत है, एक विभागीय कार्यवाही में सबूत संभावनाओं की प्रधानता है।अक्सर आपराधिक मामले बरी होने में समाप्त हो जाते हैं क्योंकि गवाह मुकर जाते हैं।इस तरह के बरी होना योग्यता के आधार पर बरी होना नहीं है। संदेह के लाभ के आधार पर बरी होना एक पूर्ण परीक्षण के बाद योग्यता के आधार पर बरी होने के बराबर नहीं होगा, जहां इस बात का कोई संकेत नहीं है कि

/

/

/

/

/

/

/

120

/

[2018] 1 एस सी आर।

गवाहों को जीता जा रहा है।आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 787 में इस न्यायालय ने यह विचार रखा है कि विभागीय कार्यवाही तब भी आगे बढ़ सकती है जब कोई व्यक्ति तब बरी हो जाता है जब बरी होना सम्मानजनक नहीं होता है।

25. "सम्मानजनक बरी" अभिव्यक्ति पर विचार किया गया था

एस. समुथिरम (2013) 1 एस. सी. सी. 598 में यह न्यायालय ।उस मामले में यह न्यायालय उस स्थिति से चिंतित था जहां एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 509 और छेड़छाड़ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आपराधिक मामला लंबित था। उस मामले में प्रमुख गवाहों से पूछताछ न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था।आपराधिक मामले के संचालन में एक गंभीर त्रुटि थी।दो भौतिक गवाह मुकर गए।भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पांचाल (1994) 1 एस. सी. सी. 541 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, जहां कुछ हद तक इसी तरह की स्थिति में, इस न्यायालय ने किसी कर्मचारी को सेवा में बहाल करने से इनकार करने की बैंक की कार्रवाई को इस आधार पर बरकरार रखा कि आपराधिक मामले में उसे संदेह का लाभ अपास्त करते हुए दिया गया था और इसलिए, यह एक सम्मानजनक बरी नहीं था, इस न्यायालय ने कहा कि विभागीय

कार्यवाही में लगाए गए दंड को रद्द करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था।इस न्यायालय ने कहा कि "सम्मानजनक बरी", "दोषमुक्त" और "पूरी तरह से दोषमुक्त" शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं।वे न्यायिक घोषणाओं द्वारा बनाए जाते हैं।यह परिभाषित करना मुश्किल है कि "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।इस न्यायालय ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के मामले पर पूरा विचार करने के बाद आरोपी को बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहता है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि आरोपी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था।

/

/

/

/

/

..(ण) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों के संबंध में सेवा संबंधी मामलों" से उनकी सेवा-शर्तों से संबंधित सभी मामले अभिप्रेत हैं और उनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं: -

(i) पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत भत्ते भी हैं), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे;

(ii) पदावधि, जिसके अंतर्गत कमीशन, नियुक्ति, अभ्यावेशन, परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, प्रतिवर्तन, समय-पूर्व सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, सेवा समाप्ति और शास्तिक कटौतियां;

(iii) संक्षिप्त निपटारा और विचारण जहां पदच्युति का दंड अधिनिर्णीत किया गया है;

(iv) कोई अन्य विषय, चाहे जो भी हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले नहीं हैं-

(i) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 18, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 15 की उपधारा (1) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 18 के अधीन जारी किए गए आदेश; और

(ii) स्थानांतरण और तैनातियां जिनके अन्तर्गत सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों से संबंधित तैनाती पर स्थान या यूनिट का परिवर्तन भी है चाहे वह व्यष्टिक रूप में या

यूनिट घटक या पोत के भाग के रूप में हो;

(iii) किसी प्रकार की छुट्टी;

(iv) समरी सेवा न्यायालय, वहां के सिवाय, जहां दंड पदच्युति या तीन मास से अधिक के कारावास का है;

.

33. जहाँ तक प्रतिवादी मेहर सिंह का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मामले से समझौता किया गया है।यह आग्रह किया गया कि समझौते के अनुसार दर्ज किए गए बरी होने को अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उद्देश्य को विफल कर देगा।हम इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं देखते हैं।विवादों को शांत करके समाज में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण लाने के लिए समझौतों या समझौतों को प्रोत्साहित करना होगा।उन्हें ए को कम करने के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा।

/

/

मामलों की बकाया राशि और वादियों को लंबित मुकदमेबाजी की पीड़ा से बचाना।लेकिन इन विचारों को यहां नहीं लाया जा सकता है।पुलिस बल की सत्यनिष्ठा और उच्च मानक बनाए रखने के लिए, जाँच समिति किसी समझौते का संज्ञान लेने से इनकार कर सकती है, यदि यह संदिग्ध प्रतीत होता है।जाँच समिति को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

/

..(ण) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों के संबंध में सेवा संबंधी मामलों" से उनकी सेवा-शर्तों से संबंधित सभी मामले अभिप्रेत हैं और उनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं: -

(i) पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत भत्ते भी हैं), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे;

(ii) पदावधि, जिसके अंतर्गत कमीशन, नियुक्ति, अभ्यावेशन, परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, प्रतिवर्तन, समय-पूर्व सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, सेवा समाप्ति और शास्तिक कटौतियां;

(iii) संक्षिप्त निपटारा और विचारण जहां पदच्युति का दंड अधिनिर्णीत किया गया है;

(iv) कोई अन्य विषय, चाहे जो भी हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले नहीं हैं-

(i) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 18, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 15 की उपधारा (1) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 18 के अधीन जारी किए गए आदेश; और

(ii) स्थानांतरण और तैनातियां जिनके अन्तर्गत सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों से संबंधित तैनाती पर स्थान या यूनिट का परिवर्तन भी है चाहे वह व्यष्टिक रूप में या यूनिट घटक या पोत के भाग के रूप में हो;

(iii) किसी प्रकार की छुट्टी;

(iv) समरी सेवा न्यायालय, वहां के सिवाय, जहां दंड पदच्युति या तीन मास से अधिक के कारावास का है;

.

35. पुलिस बल एक अनुशासित बल है।समाज में विधि और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है।लोग इसमें बहुत विश्वास और विश्वास रखते हैं। यह उस विश्वास के योग्य होना चाहिए।पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए।उसके पास त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा।भले ही वह आपराधिक मामले में बरी या आरोपमुक्त हो जाता है, उस दोषमुक्त या आरोपमुक्त करने के आदेश की जांच यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि क्या उसे मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि उसके अपराधों में शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है।इसलिए स्थायी आदेश ने इन मामलों में निर्णय लेने का काम जांच समिति को सौंपा है।जाँच समिति के निर्णय को अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो।हाल के दिनों में पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है।पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके गलत तरीके से व्यवहार करने के उदाहरण सार्वजनिक हैं और चिंता का विषय हैं।पुलिस बल की प्रतिष्ठा को झटका लगा है।ऐसी स्थिति में, हम दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई जांच समिति जैसे तंत्र के महत्व और प्रभाव को कम नहीं करना चाहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन व्यक्तियों के पुलिस बल की विश्वसनीयता को कम करने की संभावना है, वे पुलिस बल में प्रवेश न करें।साथ ही, जाँच समिति को उसमें रखे

गए विश्वास के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। "

/

/

/

/

/

मध्य प्रदेश राज्य में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था।

और अन्य बनाम परवेज खान (2015) 2 एससीसी 591।

12. अवतार सिंह बनाम में उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक अभियोजन, गिरफ्तारी या आपराधिक मामले (मामलों) के लंबित होने के संबंध में प्रासंगिक जानकारी या झूठी जानकारी के दमन के प्रश्न पर विचार करते हुए।

/

भारत संघ और अन्य **(2016) 8** एस**.** सी**.** सी**. 471,** तीन न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने पैरा (38) में निष्कर्ष का सारांश दिया।उक्त कथन के अनुसार

पैरा (38.5) में निर्णय, "एक ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। "

/

13. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आपराधिक मामले में बरी होने से वह स्वतः ही इस पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं हो जाता है।फिर भी नियोक्ता के लिए यह खुला है कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या वह पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।मेहर सिंह और परवेज खान मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि पुलिस सेवा में भर्ती होने वाला उम्मीदवार त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा का होना चाहिए।आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा।भले ही वह बरी हो जाए या बरी हो जाए, यह नहीं माना जा सकता है कि उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था/पूरी तरह से बरी कर दिया गया था।जाँच समिति के निर्णय को अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाया

जाता है।जाँच समिति को इसमें विश्वास के महत्व के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और उम्मीदवार की पूर्ण चरित्र के साथ जाँच करनी चाहिए।

/

/

14. हाथ में मामले में, उन आपराधिक मामलों का विवरण जिसमें प्रतिवादी शामिल थे और उनके बरी होने के कारण और जांच समिति द्वारा विचार निम्नानुसार हैं:- ए.

/

Party Name/ SLP No.	Allegations	Reasons for acquittal	Consideration by the Screening Committee
Pradeep Kumar SLP(C) No. 20750/16	• FIR under Sections 148, 149, 323 and 506 IPC. • Appeared outside the class room of the complainant therein along with other people. • Carrying *lathis* and axe and started beating the complainant and other persons of his village.	• PW-1 (complainant) and PW-2 turned hostile and denied all the contents of complaint. • Witnesses admitted their signature on complaint but said that they were obtained on blank papers. • IO did not appear. • Therefore the trial was closed as no useful purpose could be served by examining the remaining witnesses.	• Accused acquitted because star witnesses turned hostile and thus accused got benefit of doubt. • Appears that witnesses have been won over. • Accused 19 years age at the time of commission of offence.

/

/

/

123

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन बनाम प्रदीप कुमार [आर. भानुमती, जे.] ए.

Narender Kumar SLP (C) No.20750/16	• FIR under Sections 148, 149, 323 and 506 IPC. • Appeared outside the class room of the complainant therein along with other people. • Carrying *lathis* and axe and started beating the complainant and other persons of his village.	• PW1 (complainant) and PW2 turned hostile and denied all the contents of complaint. • Witnesses admitted their signature on complaint but said that they were obtained on blank papers. • IO did not appear. • Therefore the trial was closed as no useful purpose could be served by examining the remaining witnesses.	• Accused acquitted because star witnesses turned hostile and thus accused got benefit of doubt. • Appears that witnesses have been won over. • Accused 21 years age at the time of commission of offence.

/

/

/

/

/

/

/

124 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एस. सी. आर.

Ombir SLP(C) No.8905/17	• FIR under Sections 323, 354, 506/34 IPC. • Allegation is that Ombir along with other co-accused persons in furtherance of their common intention outraged the modesty of one Sudesh (complainant). • Caused hurt to her, after which the complainant was admitted in the hospital.	• The complainant and one Pradeep (PW2) has turned hostile and therefore prosecution evidence was closed and the accused acquitted.	• The accused was acquitted as the complainant did not support the case of the prosecution. • The accused has committed offence of outraging modesty of woman and has been acquitted on the benefit of doubt.

/

/

15. उपरोक्त विवरणों से हम पाते हैं कि जांच समिति ने उत्तरदाताओं के प्रत्येक मामले और उन्हें बरी करने के कारणों की जांच की और निर्णय लिया।यह तय करते समय कि क्या किसी आपराधिक मामले में शामिल व्यक्ति को बरी कर दिया गया है या छुट्टी दे दी गई है, उसे पुलिस बल में किसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, अपराध की प्रकृति जिसमें वह शामिल है, चाहे वह एक सम्मानजनक बरी होना था या केवल संदेह का लाभ बढ़ाना था क्योंकि गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए थे और अभियोजन में खामियां वे सभी पहलू हैं जिन पर जांच समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार पद के लिए उपयुक्त है या नहीं।जैसा कि पहले बताया गया है, जांच समिति ने प्रत्येक मामले और उनके बरी होने के कारणों की जांच की और निर्णय लिया कि प्रतिवादी चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।प्रक्रिया का पालन दिशानिर्देश 2 (ए) (बी) के अनुसार किया जाता है और इस तरह की जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल त्रुटिहीन चरित्र वाले व्यक्ति ही पुलिस बल में प्रवेश करें।हालांकि, न्यायालय जांच समिति के फैसले के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है।

/

/

/

16. उत्तरदाताओं की ओर से बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी

जोगिंदर सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य

/

(2015) 2 एससीसी 377।उक्त मामले में, अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148,149,323,325 और 307 के अंतर्गत आरोप लगाया गया था, लेकिन निचली विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता के साथ-साथ घायल चश्मदीद गवाह हमलावरों की पहचान करने में विफल रहे हैं और शिकायतकर्ता ने कहा था कि जांच अधिकारी द्वारा एक खाली कागज पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे।मामला ए

/

इसमें पारिवारिक विवाद शामिल था।ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी जोगिंदर सिंह को बरी करना एक सम्मानजनक बरी करना था और इसलिए, उन्हें प्रश्न पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जोगिंदर सिंह मामले में निर्णय यहाँ प्रतिवादियों के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

17. निर्णयों के एक समूह में, पुलिस बल में ईमानदारी और आचरण के उच्च मानक के महत्व पर जोर दिया गया है।जैसा कि मेहर सिंह मामले में कहा गया है, जांच समिति का निर्णय अंतिम के रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो।हाथ में मामले में, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि जाँच समिति का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है।जाँच समिति का यह निर्णय कि प्रतिवादी सिपाही के पद पर नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, हस्तक्षेप की माँग नहीं करता है।ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय , हमारे विचार में, जाँच समिति के निर्णय अपास्त करते हुए में गलती करते हैं और आक्षेपित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

/

/

18. परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुज्ञात जाती है।उत्तरदाताओं की उम्मीदवारी को रद्द करने को बरकरार रखा गया है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

/

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/

/

/